

कार्यालय आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 14, जून 2025

// आदेश //

तत्कालिक प्रभाव से राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालक को स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं 0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद/ जोन	जोन जहाँ स्थानान्तरण किया जा रहा है
1	2	3	4
1.	श्री ललित कुमार, वाहन चालक	मुख्यालय	इटावा

- उपरोक्त स्थानान्तरित कर्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
- उपरोक्त तैनाती पर कर्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बंधित कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- उपरोक्त कर्मिक के नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 06.05.2025 के बिन्दु संख्या 11 (1) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित नियंत्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बंधित उपायुक्त/ सहायक आयुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- चरित्र पंजिका सेल, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- सम्बंधित कर्मचारी को नाम से।

(रवि शंकर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्थापना अराजपत्रित)
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।